Date – 21 June 2022

अमृत सरोवर मिशन

- केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को अमृत सरोवर मिशन के तहत अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए देश भर के सभी जिलों में तालाबों/टैंकों से खुदाई की गई मिट्टी/गाद का उपयोग करने के लिए कहा है।
- जल संरक्षण के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन शुरू किया गया था।

लक्ष्य:

- मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है।
- इससे कुल मिलाकर लगभग एक एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों का निर्माण होगा।
- मिशन इन प्रयासों को पूरा करने के लिए नागरिक और गैर-सरकारी संसाधनों को जुटाने को प्रोत्साहित करता है।

शामिल मंत्रालय:

मिशन को 6 मंत्रालयों/विभागों के साथ एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया है, अर्थात्:

- ग्रामीण विकास विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- पेयजल और स्वच्छता विभाग
- जल संसाधन विभाग
- पंचायती राज मंत्रालय
- वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

तकनीकी भागीदार:

- भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) को मिशन के लिए तकनीकी भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

विभिन्न योजनाओं के साथ फिर से फोकस करें:

- यह मिशन मनरेगा, XV वित्त आयोग अनुदान, PMKSY उप-योजनाओं जैसे वाटरशेड विकास घटकों, हर खेत को पानी, के माध्यम से राज्यों और जिलों के माध्यम से राज्यों की अपनी योजनाओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करके काम करता है।

Yojna IAS

लक्ष्य:

- मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है।
- देश में करीब 50,000 अमृत सरोवर बनने हैं।
- इनमें से प्रत्येक अमृत सरोवर 10,000 घन मीटर की जल धारण क्षमता के साथ 1 एकड़ के क्षेत्र में होगा।
- मिशन में लोगों की भागीदारी केंद्रीय है।
- स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों, उनके परिवार के सदस्यों, शहीदों के परिवार के सदस्यों, पद्म पुरस्कार विजेताओं और स्थानीय क्षेत्र के नागरिक जहां अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है, सभी चरणों में शामिल होंगे।
- प्रत्येक 15 अगस्त को प्रत्येक अमृत सरोवर स्थल पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा।

उपलब्धियां:

- अमृत सरोवर के निर्माण के लिए अब तक राज्यों/जिलों द्वारा 12,241 स्थलों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, जिनमें से 4,856 अमृत सरोवरों पर काम शुरू हो चुका है।

आजादी का अमृत महोत्सव:

- आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की आजादी के 75 साल और अपने लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक पहल है।
- यह त्यौहार भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को उसकी विकास यात्रा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत द्वारा भारत 0 को सक्रिय करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को सक्षम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जो हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75-सप्ताह की उलटी गिनती की शुरुआत है, जो 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी।

Yojna IAS

पश्चिम सेती विद्युत परियोजना

- चीन लगभग छह वर्षों (2012 से 2018) के लिए पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना में शामिल था। लगभग चार साल चीन से बाहर रहने के बाद 2018 में इस परियोजना को भारत अपने हाथ में ले लेगा।
- इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री लुंबिनी गए, जहां उन्होंने 2566वीं बुद्ध जयंती समारोह मनाया। नेपाल ने भारत को पश्चिमी सेती जलविद्युत परियोजना में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया है।

पश्चिम सेती विद्युत परियोजना:

- यह दूर-पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनने वाली 750 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है। जो पिछले छह दशकों से एकमात्र खाका रहा है।
- हाल ही में सरकार ने 1,200 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाली एक संयुक्त भंडारण परियोजना वेस्ट सेती और सेती नदी (एसआर-6) परियोजना को नया रूप दिया है।
- इसका भंडारण या जलाशय मानसून के मौसम में भर दिया जाएगा और शुष्क मौसम के चरम घंटों के दौरान हर दिन बिजली पैदा करने के लिए इससे पानी निकाला जाएगा।
- इसकी सफलता से नेपाल में भारत की छवि को बहाल करने और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए भविष्य के विचारों में इसे महत्व देने की उम्मीद है, ऐसे समय में जब प्रतिस्पर्धा कठिन है। इसलिए, पश्चिम सेती में भविष्य में नेपाल-भारत शक्ति संबंधों के लिए एक परिभाषित मॉडल बनने की क्षमता है।

भारत-नेपाल ऊर्जा संबंध:

- नेपाल लगभग 6,000 नदियों और 83,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के साथ बिजली स्रोतों में समृद्ध है।
- 6,480 मेगावाट उत्पादन के लिए 1996 में महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन भारत अभी भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ सामने नहीं आ पाया है।
- अपर करनाली परियोजना, जिसके लिए बहुराष्ट्रीय जीएमआर ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, ने पिछले कुछ वर्षों में कोई प्रगति नहीं की है।
- भारत पूर्वी नेपाल में संखुवा सभा में 900 मेगावाट की अरुण-3 परियोजना को लागू करने में सफल रहा है, जिसकी आधारशिला 2018 में रखी गई थी और जिसे वर्ष 2023 तक पूरा किया जाना है। इसने भारत में विश्वास बनाने में मदद की है।
- 2014 में भारतीय प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत को अपनी परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित करना शुरू कर देना चाहिए।
- नेपाल के संविधान में एक प्रावधान है जिसके तहत प्राकृतिक संसाधनों पर किसी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या समझौते के लिए कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संसद के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह भी होगा कि किसी भी पनबिजली परियोजनाओं पर हस्ताक्षर करने और निष्पादन के लिए दिए जाने से पहले सरकारी कार्यों की आवश्यकता होगी।
- नेपाल में बिजली की भारी कमी है क्योंकि यह लगभग 2,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के मुकाबले केवल 900 मेगावाट ही उत्पन्न करता है। हालांकि यह वर्तमान में भारत को 364 मेगावाट बिजली का निर्यात कर रहा है, लेकिन यह पिछले कुछ वर्षों में भारत से आयात कर रहा है।

भारत-नेपाल राजनयिक संबंध:

- नेपाल और भारत के बीच गतिरोध के कारण 2015 में आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए लेकिन ओली के नए प्रधान मंत्री देउबा के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद समीकरण बदल गए, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत के साथ भाईचारे के संबंध स्थापित किए।
- नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से फैले अपने भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में विशेष महत्व रखता है।
- वर्तमान नेपाल में स्थित बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी के साथ भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में एक समान संबंध साझा करते हैं।
- दोनों देश न केवल एक खुली सीमा और लोगों के मुक्त आवागमन को साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी उनके बीच घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें रोटी-बेटी संबंध के रूप में जाना जाता है।
- 1950 की शांति और मित्रता की भारत-नेपाल संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।

Yojna IAS

- नेपाल से निकलने वाली नदियां भारत की बारहमासी नदी प्रणालियों को पारिस्थितिक और जलविद्युत क्षमता से पोषित करती हैं।
- हालांकि, सीमा मुद्दा नवंबर 2019 में उभरा जब नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें उत्तराखंड के कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल के क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा किया गया था। नए मानचित्र में सुस्ता (पश्चिम चंपारण जिला, बिहार) का क्षेत्र भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

Yojna IAS

बाल विवाह

- भारत में बाल विवाह अभी भी व्यापक है। यह तर्क दिया जा रहा है कि महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर पर्याप्त लाभ के लिए की गई है। बाल विवाह उन्मूलन की समस्या पर इस प्रयास के प्रभाव का भविष्य में आकलन करने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5: 2019-2021) के आंकड़े वर्तमान स्थिति की वास्तविकता को दर्शाते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 डेटा

ग्रामीण और शहरी अंतर

- एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के मुताबिक, 18 से 29 साल की करीब 25 फीसदी महिलाओं की शादी 18 साल की कानूनी उम्र से पहले कर दी जाती है।
- बाल विवाह का प्रचलन शहरी क्षेत्रों (17%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (28%) में अधिक है।

राज्यों के मामले:

- बाल विवाह का सबसे अधिक प्रचलन पश्चिम बंगाल (42%) में है, इसके बाद बिहार और त्रिपुरा (प्रत्येक में 40%) का स्थान है। हालांकि, इन उच्च प्रसार वाले राज्यों ने बाल विवाह में सबसे ज्यादा कमी दिखाई है।
- दूसरी ओर गोवा, हिमाचल प्रदेश और केरल में प्रसार दर 6% से 7% के बीच है।

शिक्षा और समुदायवार आँकड़े

- भारत में बाल विवाह का सबसे अधिक प्रचलन आदिवासी और दलित समुदायों (39%) में है। वंचित सामाजिक समूहों में इसका प्रसार 17% है, जबकि शेष प्रसार अन्य पिछड़े वर्गों में है।
- 27% निरक्षर महिलाएं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु से पहले शादी कर ली है, उनका वजन कम है (बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम)। साथ ही, दो तिहाई से अधिक (लगभग 64%) निरक्षर महिलाएं आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से पीड़ित हैं।

बाल विवाह के संरचनात्मक कारक

- बाल विवाह के लिए मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। बाल विवाह और प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंध संरचनात्मक कारकों जैसे गरीबी और महिला शिक्षा जैसे सामाजिक मानदंडों द्वारा संचालित होता है।
- बाल विवाह के प्रमुख कारणों में से एक गरीबी और देर से विवाह पर दहेज का भारी बोझ है। साथ ही, ये कारक बालिका के शैक्षिक अवसरों में बाधा डालते हैं, जिससे बाल विवाह अधिक सुविधाजनक हो जाता है।
- समाज की यह भी मान्यता है कि सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं को शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए।
- आर्थिक बोझ और पारिवारिक प्रतिष्ठा धूमिल होने के डर से भी बाल विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है।

बाल विवाह रोकने के प्रयास

- अधिकांश राज्यों ने बाल विवाह को रोकने के लिए पिछले दो दशकों से 'सशर्त नकद हस्तांतरण' (सीसीटी) की नीति अपनाई है। इसके जरिए सरकार ने 'सब पर एक समान नीति' लागू करने की कोशिश की, जो व्यावहारिक तरीका नहीं है। दरअसल, किशोरियों के लिए नकद हस्तांतरण की नीति कारगर साबित नहीं हुई है।
- कर्नाटक सरकार ने बाल विवाह को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2017' में संशोधन किया है और बाल विवाह को बढ़ावा देने वालों के लिए न्यूनतम कठोर कारावास निर्धारित किया है।
- इस दिशा में सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे प्रयास भी किए हैं।
- सरकार ने वर्ष 1988 में 'महिला समाख्या कार्यक्रम' शुरू किया था। इसका उद्देश्य देश के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम महिलाओं के 'सामुदायिक जुड़ाव' पर आधारित था।
- महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभांश 21 वर्ष की आयु में विवाह से प्राप्त किया जा सकता है।

समाधान

- महिलाओं के लिए न्यूनतम 12 वर्ष की शिक्षा सुनिश्चित करना।
- माध्यमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए और किशोरियों को नियमित रूप से स्कूल भेजा जाए।
- सरकारें आवासीय विद्यालयों, लड़कियों के छात्रावासों और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को देश के वंचित क्षेत्रों में विस्तारित करें।

Yojna IAS

- इससे बालिकाएं शिक्षा को बीच में छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होंगी।
- महिलाओं की शिक्षा में सुधार करना और उन्हें आधुनिक कौशल प्रदान करना।
- इससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी और स्वास्थ्य और पोषण में सुधार होगा।
- शिक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है और यह मानव विकास में योगदान करती है।
- शादी के वित्तीय बोझ को कम करने वाली योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है।
- हालांकि, इन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड उम्र के अलावा अन्य शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित होना चाहिए।
- बाल विवाह के मामले में भी जननी सुरक्षा योजना और खुले में शौच के उन्मूलन जैसी इच्छाशक्ति और अंतर्दृष्टि को अपनाने की आवश्यकता है।

आगे का रास्ता:

- माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में महिला क्लब बनाकर 'समूह अध्ययन' को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि वैचारिक आदान-प्रदान के माध्यम से बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- स्कूलों में शिक्षकों द्वारा 'लैंगिक समानता' विषय पर कार्यक्रम और व्याख्यान आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि बच्चों में महिलाओं के प्रति 'प्रगतिशील दृष्टिकोण' विकसित किया जा सके।
- देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में स्थापित बाल ग्राम सभाएं देशभर में बाल विवाह के खिलाफ एक बेहतर मंच साबित हो सकती हैं।
- विभिन्न विभागों के कर्मचारी, जो नियमित रूप से ग्रामीण लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें 'बाल विवाह निषेध अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
- जन्म और विवाह के पंजीकरण के अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और ये अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए जाने चाहिए, ताकि लड़कियों को उनके अधिकार व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित किए जा सकें।

Yojna IAS

"IN-SPACe" मुख्यालय का उद्घाटन

INSPACe गैर-सरकारी निजी संस्थाओं को अनुमति देने और विनियमित करने और अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक से अधिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है ताकि भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 2% हिस्सेदारी से अंतरिक्ष उद्योग में अपनी भागीदारी को बढ़ावा दे सके। . भारत के युवाओं को आकर्षित करने के लिए उन्हें सचेत करने के लिए एक पोस्ट लिखा गया था "वॉच दिस स्पेस"। यह विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने के लिए पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को अवसर प्रदान करेगा।

INSPACE: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून, 2022 को गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के मुख्यालय का उद्घाटन किया।

INSPACe **संरचना**

- IN-SPACe अध्यक्ष- पवन गोयनका।
- इसमें सुरक्षा विशेषज्ञ, अकादमिक विशेषज्ञ और अन्य विभागों के कानूनी और रणनीतिक विशेषज्ञों के साथ अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं।
- भारत सरकार के PMO और MEA के सदस्य भी शामिल हैं

INSPACe **उद्देश्य**

- संगठन शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों सहित निजी खिलाड़ियों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखेगा।
- यह इसरो के परामर्श से इन आवश्यकताओं को समायोजित करने के तरीकों का भी पता लगाएगा।
- अंतरिक्ष गतिविधियों की परिभाषा के अनुसार अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना।
- इसरो के नियंत्रण में अंतरिक्ष के बुनियादी ढांचे और परिसर को साझा करना
- निजी संस्थाएं अब अपनी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मौजूदा इसरो बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में सक्षम होंगी।
- प्रक्षेपण वाहनों और उपग्रहों के निर्माण सहित अंतरिक्ष गतिविधियाँनिजी संस्थाओं द्वारा नए अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की स्थापना
- अंतरिक्ष गतिविधियों में एनजीपीई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन, हैंड होल्डिंग, प्रौद्योगिकी साझा करने और विशेषज्ञता के लिए एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना।

Swadeep Kumar

Yojna IAS